



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1940 (श0)
(सं0 पटना 1216) पटना, सोमवार, 31 दिसम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर 2018

अधिसूचना संख्या 29/2018-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 283, दिनांक 31 दिसम्बर 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-556, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2), मद (छ) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा, सड़क मार्ग से गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में -

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या

(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या

(ग) सरकारी एजेंसियों,

जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कराधेय आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी,” ;

(ख) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“12.	बिजनेस फैसिलिटेटर(बीएफ) के द्वारा बैंकिंग कंपनी का दी जाने वाली सेवाएं	बिजनेस फैसिलिटेटर(बीएफ)	काई भी कंपनी का कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित है
13.	किसी बिजनेस कांसेसपॉइंट (बीसी) के किसी एजेंट के द्वारा बिजनेस कांसेसपॉइंट (बीसी) का दी जाने वाली सेवाएं	बिजनेस कांसेसपॉइंट (बीसी) का एजेंट	ऐसा बिजनेस कांसेसपॉइंट (बीसी) का कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित है
14.	किसी पंजीकृत व्यक्ति का प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाएं (ऐसी सेवाएं जो सुरक्षा कार्मिकों की आपूर्ति करके दी गई हों): बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित काई भी बात उन गार्ड की सेवाओं पर लागू नहीं होगी जो कि, - (i) (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियों, जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में पंजीकरण कराया है और न कि माल या सेवाओं की कराधेय आपूर्ति करने के लिए, का प्रदान की गई है; (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 के अंतर्गत कम्पाजिशन स्कीम के लिए पंजीकृत हों।	काई भी व्यक्ति जो कि निगमित निकाय से भिन्न है	ऐसा काई पंजीकृत व्यक्ति जो कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित है;

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (छ), के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य का अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ज) इस अधिसूचना के प्रावधान जहां तक ये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों पर लागू होंगे हैं, संसद और राज्यों के विधान मंडल पर भी लागू होंगे।”.

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-4)-7270)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

31 दिसम्बर 2018

एस० ओ० 283 दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-4)-7270)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 31st December 2018

Notification no. 29/2018- State Tax (Rate)

S.O. 283, Date 31st December, 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No.13/2017 – State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 of Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 556, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table,-

(a) against serial number 1, in the entry in column (2), after item (g), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that nothing contained in this entry shall apply to services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage by road, to, -

(a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or

(b) local authority; or

(c) Governmental agencies,

which has taken registration under the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making a taxable supply of goods or services.”;

(b) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“12.	Services provided by business facilitator (BF) to a banking company	Business facilitator (BF)	A banking company, located in the taxable territory
13.	Services provided by an agent of business correspondent (BC) to business correspondent (BC).	An agent of business correspondent (BC)	A business correspondent, located in the taxable territory.
14.	Security services (services provided by way of supply of security personnel) provided to a registered person	Any person other than a body corporate	A registered person, located in the taxable territory.”;

	Provided that nothing contained in this entry shall apply to, - ((i) (a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or (b) local authority; or (c) Governmental agencies; which has taken registration under the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) only for the purpose of deducting tax under section 51 of the said Act and not for making a taxable supply of goods or services; or (ii) a registered person paying tax under section 10 of the said Act.		
--	---	--	--

- (ii) in the Explanation, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-
“(h) provisions of this notification, in so far as they apply to the Central Government and State Governments, shall also apply to the Parliament and State Legislatures.”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-4)-7270)]

By order of the Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1216-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>